


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 19]

नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1972/वैशाख 16, 1894

No. 19]

NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1972/VAISAKHA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य-क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़ कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये विधि के अन्तर्गत बनाये और जारी किये गये सामारण नियम (जिनमें सामारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) ।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories).

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

New Delhi, the 21st April 1972

G.S.R. 531.—In pursuance of clause (2) of Article 222 of the Constitution, the President hereby makes the following order, namely:—

That Shri Justice Raghunandan Swarup Pathak, who was transferred from the Allahabad High Court to the High Court of Himachal Pradesh, shall be entitled to receive, in addition to his salary, a compensatory allowance at the rate of rupees four hundred per mensem for the period of his service as Chief Justice of Himachal Pradesh.

[No. 18/2/72-JUS.]

K. THYAGARAJAN, Dy. Secy.

विधि और न्याय मंत्रालय
(न्याय विभाग)

नई दिल्ली, 21 अप्रैल, 1972

जी० ० एस आर० 531.—संविधान के अनुच्छेद 222 के खण्ड (2) के अनुसरण में राष्ट्रपति एतद्वारा निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :—

न्यायाधिपति श्री रघुनंदन स्वरूप पाठक, जो इलाहाबाद उच्चन्यायालय से हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय को अन्तरित किए गये थे, हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के रूप में अपनी सेवाओं की कालावधि के लिए अपने वेतनाके अतिरिक्त, चार सौ रुपये प्रति मास की दर से प्रतिकर घंटा पान के हकदार होंगे ।

[सं० 18/2/72-न्याय]

के० लक्ष्मणराजक उप सचिव ।

सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए दिए जाने वाले आरक्षण तथा अन्य रियायतों पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”

3 उस नियमावली की अनुसूची में मेट्रन के पद से सम्बन्धित क्रम संख्या 50 के सामने कालम 10 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी अर्थात् :—

“आवश्यक:—

- (1) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से मैट्रिक या इसके समकक्ष।
- (2) होस्टल अधीक्षक या अध्यापक या मैट्रन के रूप में कार्य करने का न्यूनतम 2 वर्ष का अनुभव।

वांछनीय:—

- (1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।
- (2) लेखा विधि का ज्ञान।

[फ०सं० ए० 2031/4/71-एफ०ए०]

के० के० खान,

अवर सचिव, भारत सरकार।

New Delhi, the 15th April 1972

G.S.R. 546.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964, namely:—

- (1) These rules may be called All India Radio (Class IV posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1972.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to All India Radio (Class IV posts) Recruitment Rules, 1964 against Serial No. 7 relating to the post of “Chowkidar”, for the entries in columns 9 and 10 the following entries shall be substituted, namely:—

Column 9: “35 years”

Column 10: Civil education: 8th Standard passed. Ex-servicemen who do not have the civil education but have passed the Second class Army Certificate of education will be eligible.

Other Qualifications:

- (i) Must be either Ex-servicemen having a minimum of six years in the Infantry, Artillery or Paratroops and “Exemplary” or “Very Good” character assessment in their Army Discharge certificate, or
- (ii) Ex-Police personnel having minimum of six years service in the Central or State Police Service and a good record of Police service”.

[No. 11/12/70-B(A).]

A. V. NARAYANAN, Under Secy.

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1972

जी० एस० आर० 546—संविधान के अनुच्छेद 309 के उपबन्ध द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति आकाशवाणी (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 में अतिरिक्त संशोधन करने के लिए एनद्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- (1) इन नियमों को आकाशवाणी (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती (संशोधन) नियमावली, 1972 कहा जा सकेगा।
- (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी (चतुर्थ श्रेणी पद) भर्ती नियमावली, 1964 की अनुसूची में ‘चौकीदार’ के पद से सम्बन्धित क्रमसंख्या 7 के सामने कालम 9 तथा 10 के अन्तर्गत वर्तमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

कालम— 9 “35 वर्ष”

कालम—10 सिविल शिक्षा : 8वीं श्रेणी पास। वे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने सिविल शिक्षा ग्रहण नहीं की है, परन्तु द्वितीय श्रेणी का सैनिक शिक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किया हुआ है इसके पात्र होंगे।

अन्य अर्हताएँ :—

- (1) या तो भूतपूर्व सैनिक हो जो पैदल सेना, तोपखाने या पैराट्रूप में न्यूनतम 6 वर्ष कार्य कर चुका हो तथा सेना के डिस्चार्ज सर्टीफिकेट में उसका चरित्र ‘अनुकरणीय’ या ‘बहुत अच्छा’ दर्ज हो।

या

- (2) पुलिस का भूतपूर्व व्यक्ति हो जो केन्द्रीय या राज्य पुलिस सेवा में न्यूनतम 6 वर्ष की सेवा कर चुका हो तथा उसकी पुलिस सेवा का रिकार्ड अच्छा हो।”

[संख्या 11/12/70-बी (ए)]

ए० वी० नारायणन, अवर सचिव।

(Department of Supply)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 15th April 1972

G.S.R. 547.—After the words “Schedule” occurring in paragraph 4 of this Department’s Notification issued under No. A-12018/2/71-ESII, dated the 5th February, 1972, amending the Directorate General of Supplies & Disposals (Regional Offices—Class III Posts) Recruitment Rules, 1963, the following shall be added:—

“(Non-Ministerial Posts)”.

[No. F. A-12018/2/71-ESII.]

S. S. KSHETRY Under Secy